

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़  
पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 127/2024

दायर दिनांक-10.07.2024

1. हरिराम पुत्र श्री श्योजीराम उम्र 55 साल जाति जाट निवासी देवगांव तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान।

- आवेदक

- :: बनाम ::-

1. रामकुवार पुत्र श्री बिरमा उम्र 75 साल जाति जाट निवासी दाणी लालपुरा तन् परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान।
2. श्रीमती सुमित्रा देवी धर्मपत्नी श्री हरिराम जाति जाट निवासी ग्राम लालपुरा तन चौढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान।
3. जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री विधाधर सिंह जाति जाट निवासी ग्राम किसारी तहसील व जिला झुन्डुनू राजस्थान।
4. प्रेमान्स बिल्डकोन प्राईवेट लिमिटेड महेश्वरी मोहल्ला शारदा गली निम्बाहेड़ा (राज.) जरिये मैनेजर जितेन्द्र जानू पुत्र श्री विधाधर जानू जाति जाट निवासी किसारी हाल निम्बाहेड़ा जिला चितौतगढ़ राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये लेन्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान।
6. जगदीश प्रसाद पटवारी निवासी पुरोहित का बास, बाय तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान।

-अनावेदकगण

वकील आवेदक : - श्री विधाधर सिंह जाखड़

वकील अनावेदकगण :- श्री प्रदीप कुमार

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

-:: आदेश ::-

दिनांक 16.07.2025

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :- आवेदक ने उपरोक्त उनवानी दावा हरिराम बनाम रामकुवार बाकायदा न्यायालय हाजा में पेश कर दिया है जो बहुत ही मजबूत आधारों पर आधारित है जिसमें आवेदक को सफलता मिलने की पूरी-पूरी सम्भावना है।

आवेदक ने दिनांक 25.07.2000 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र अनावेदक नं. 1 रामकुवार से निम्न भूमि क्रय की थी जिसका विक्रय-पत्र शएश मार्क का है एक ही विक्रय पत्र द्वारा क्रय की हुयी भूमि का वर्णन इस प्रकार से है - नया खाता संख्या 655 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 1168 रकबा 0.32 हैक्टर में 1/2 हिस्सा अनावेदक नम्बर 1 रामकुवार का था जो रामकुवार ने आवेदक को विक्रय कर दिया जिसका खाता क्रेता आवेदक हरिराम के नाम दर्ज हो गया जिसकी जमाबन्दी बी मार्क की है। नया खाता संख्या 731 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 1220 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 1230 रकबा 0.68 हैक्टर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.01 हैक्टर में हिस्सा 1/6 जो अनावेदक नं. 1 ने आवेदक को जरिये विक्रय-पत्र विक्रय किया था लेकिन नामान्तरण तस्दीक नहीं होने से खाता विक्रेता रामकुवार के ही नाम रह गया जिसका विक्रेता रामकुवार अनावेदक नं. 1 ने बेजा फायदा उठाकर विक्रय की हुयी भूमि का दुबारा विक्रय-पत्र दिनांक 08.01.2008 को अनावेदक नं. 3 के नाम तस्दीक करवा दिया और नामान्तरण नम्बर 324 के द्वारा अनावेदक नं. 3 के नाम खाता भी दर्ज करवा दिया जो विक्रय-पत्र शसीश मार्क का है जमाबन्दी बी मार्क की है अनावेदक नं. 3 ने क्रय की हुयी भूमि को दुबारा अनावेदक नं. 4 कम्पनी को दिनांक 29.03.2008 को विक्रय-पत्र तस्दीक करवा दिया जो विक्रय-पत्र शडीश मार्क का है विक्रय-पत्र जरिये स्वयं कम्पनी का

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

मैनेजर बनकर तस्दीक करवाया है इन फर्जी विक्रय-पत्र के आधार पर जरिये नामान्तकरण संख्या 324 के द्वारा अनावेदक नम्बर 4 के नाम भूमि दर्ज करवा दी जिसके खातेदारी की नकल डी मार्क की है उक्त दोनो विक्रय-पत्र व नामान्तकरण एबीनिसियो बोर्ड है।

(सी) नया खाता संख्या 766 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 3619/1168 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 1169 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.25 हैक्टर में हिस्सा 1/6 भी अनावेदक नम्बर 1 ने आवेदक को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विक्रय कर दिया लेकिन इन खसरा नम्बर का नामान्तकरण भी आवेदक के नाम तस्दीक नहीं होने के कारण खाता पूर्व की भांती ही विक्रेता रामकुवार के नाम रह गया जिसका विक्रेता रामकुवार ने बेजा फायदा उठाकर विक्रय की हुयी भूमि को दुबारा अपनी पुत्रवधु अनावेदक नम्बर 2 के नाम दिनांक 20.06.2016 को विक्रय-पत्र तस्दीक करवा दिया जो विक्रय-पत्र रईश मार्क का है जिसका खाता भी अनावेदक नम्बर 2 के नाम नामान्तकरण संख्या 912 के द्वारा दर्ज हो गया खाते की जमाबन्दी शफर मार्क की है। उक्त विक्रय-पत्र व नामान्तकरण एबीनिसियो बोर्ड है।

नोट :- विक्रय-पत्र दिनांक 25.07.2000 जो शफर मार्क का है इस एक ही विक्रय-पत्र के द्वारा उपधारा ए. बी व सी में वर्णित सारी भूमि क्रय की थी पटवारी की दुर्भावना से की हुयी कारस्तानी देखो सिर्फ उपधारा ए में वर्णित भूमि का तो आवेदक के नाम नामान्तकरण भरकर खाता दर्ज कर दिया शेष उपधारा बी व सी में क्रय की हुयी भूमि का नामान्तकरण दर्ज नहीं किया और खाता विक्रेता के नाम पूर्व की भांती ही रख दिया पटवारी की लापरवाही व बदनियती से काश्तकार को झूठे मुकदमें में फंसना पड़ा है और खर्चा हुआ है। उपरोक्त वर्णित खातेदारी की भूमि जो उपधारा ए.बी व सी में वर्णित है अनावेदक नम्बर 1 रामकुवार के कब्जे काश्त व खातेदारी की थी जिसको आवेदक हरिराम ने जरिये रजिस्टर्ड डीड दिनांक 25.07.2000 को पूरा प्रतिफल देकर कब्जा प्राप्त करके क्रय कर लिया और विक्रेता रामकुवार की जगह क्रेता आवेदक हरिराम आ गया व खातेदार हो गया उक्त विक्रय-पत्र ए मार्क का पेश है।

बाद क्रय आवेदक ने हल्का पटवारी को नामान्तकरण दर्ज करने के लिए विक्रय-पत्र दिनांक 25.07.2000 दे दिया था और पटवारी हल्का ने आवेदक को कहा कि क्रयशुदा भूमि का विक्रय-पत्र के अनुसार नामान्तकरण दर्ज कर दूंगा वादी इस विश्वास में रहा कि पूरी भूमि का नामान्तकरण आवेदक के नाम दर्ज होकर खातेदारी दर्ज हो गई होगी कब्जा काश्त शान्ती से आवेदक के पास था ही इसी विश्वास में काश्त करता रहा लेकिन पटवारी हल्का ने अनावेदकगण से मिलकर बदनियती से प्रार्थना-पत्र की धारा 2 की उपधारा ए में वर्णित भूमि का तो नामान्तकरण आवेदक के नाम दर्ज कर दिया लेकिन शेष भूमि जो उपधारा बी व सी में वर्णित का नामान्तकरण आवेदक के नाम दर्ज नहीं किया जबकि उपधारा ए.बी व सी में वर्णित भूमि एक ही विक्रय-पत्र द्वारा क्रय की भूमि है एक ही विक्रय-पत्र में दर्ज भूमि में कुछ भूमि का नामान्तकरण दर्ज करना कुछ का दर्ज नहीं करना अपने आपमें ही बदनियती व विक्रेता को नाजायज लाभपहुँचाने व क्रेता को नाजायज हानि पहुंचाने के उद्देश्य से तत्कालिन पटवारी हल्का जगदीश ने उक्त गलत कार्यवाही कर अपराध किया है जिसके लिए उसके विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही अलग से की जावेगी और इस गलत कार्यवाही का उसे पता था इस कारण उसने ही अनावेदक नम्बर 1 से मिलकर विक्रय की हुयी भूमि का दुबारा विक्रय करवा दिया जो अपराध है उसकी भी अलग से कार्यवाही की जा रही है जिससे आवेदक के हक अधिकारो पर क्लाउड आ गया है इस कारण आवेदक अपने हक अधिकार की सुरक्षा के लिए उक्त वाद/प्रार्थना-पत्र पेश कर रहा है।

आवेदक अपनी क्रयशुदा भूमि को क्रय करने के बाद शान्ति पूर्वक ढंग से काश्त करता है काबिज है जैसे ही अनावेदक नम्बर 1 रामकुवार ने आवेदक हरिराम के पक्ष में विक्रय-पत्र तस्दीक करवाया तुरन्त ही उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये, नामान्तकरण भराजाना, तस्दीक किया जाना कोई महत्व नहीं रखता है नामान्तकरण की कार्यवाही तो फिसिकल कार्यवाही है एक बार भूमि का रजिस्टर्ड सैलडीड तस्दीक करवा देने के बाद उसी भूमि का दुबारा सैलडीड करवाया जाता है तो वह एबीनिसियो बोर्ड होता है उसे मंसुख करवाने की भी आवश्यकतानहीं है लेकिन इन गलत विक्रय-पत्रो व उनके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन होने से आवेदक के खातेदारी हको पर क्लाउड आ गये है इस कारण उसे निरस्त करवाया जाकर उप-पंजियन नवलगढ़ के रिकार्ड में उसका अंकन करवाया जाना आवश्यक है जिससे भविष्य में कही पर भी इनका नाजायज व बेजा फायदा नहीं उठाया जा सके आवेदक व उसके उत्तराधिकारियों के हक सुरक्षित

महायुक्त कानून एवं क्रयपालक  
रजिस्ट्रार, फास्ट-ट्रेक, नवलगढ़

रहे व आवेदक की क्रयशुदा भूमि का राजस्व रिकार्ड भी उसके नाम बनाया जाना आवश्यक है जिसके लिए उक्त वादधार्थना-पत्र घोषणार्थ अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जाना आवश्यक हुआ जो बाकायदा सेवामें पेश है।

पहले तो अनावेदक नम्बर 3 जितेन्द्र सिंह ने आवेदक की क्रयशुदा भूमि का गलत रिकार्ड के आधार पर अनावेदक नम्बर 1 से मिलकर साज करके विक्रय-पत्र अपने नाम प्रार्थना पत्र की धारा 2 की उपधारा बी में वर्णित भूमि का बनवाया उसके बाद साक्ष्य रचना के लिए अनावेदक नम्बर 4 कम्पनी के नाम विक्रय-पत्र जरिये स्वयं मैनेजर बनकर कर दिया जो विधी विरुद्ध व बेस्ट पेपर है अनावेदक नम्बर 1 ने कुछ भूमि जो प्रार्थना-पत्र की धारा 2 की उपधारा सी में वर्णित है का अपनी पुत्रवधु अनावेदक नम्बर 2 के नाम तस्दीक करवा दिया जो भी आपस में षड्यन्त्र रचकर किया है जो विधी विरुद्ध व बेस्ट पेपर है उक्ततमाम विक्रय-पत्र व इन विक्रय-पत्रों के आधार पर जितने भी नामान्तकरण भरे गये है वो तमाम आवेदक के हक अधिकारो पर प्रभावहीन घोषित किये जाकर एवीनिसियो बोर्ड करार दिये जावे और उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड आवेदक के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जावे जिसके लिए उक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमान् की सेवामें पेश है।

आवेदक अपनी क्रय की हुयी भूमि पर काबिज है शान्ती से काशत करता है दिनांक 15.06.2017 को अनावेदकगण ने कहा कि उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड हमारे नाम से है हम काशत करेंगे तो आवेदक ने रिकार्ड की नकले ली तो उक्त गलत रिकार्ड का पता चला आवेदक अनावेदकगण द्वारा आपस में मिलकर षड्यन्त्रपूर्वक कार्यवाही से अनजान था विक्रय-पत्र जो अनावेदकगण ने आवेदक की क्रय की हुयी भूमि के दुबारा बनाये है उनमें आवेदक पक्षकार नहीं है इन विक्रय-पत्रों का अजनबी है इस गलत कार्यवाही का पता चलते ही तुरन्त ही उक्त प्रार्थना-पत्र बाकायदा श्रीमान् की सेवामें पेश है।

आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला है सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है यदि अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है जो आवेदक को अपूर्णिय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में सम्भव नहीं है।

अतः प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेशकर निवेदन है कि अनावेदकगण को तादौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थना-पत्र की धारा 2 की उपधारा ए.बी व सी में वर्णित आवेदक की क्रयशुदा भूमि के कब्जे काशत व उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं पैदा करे ना ही अपने आदमियों से करवाये व गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर भूमि को बेस्ट व डेमेज व एलिनिमेटेड नही करे अनावेदकगण के नाम बने गलत विक्रय-पत्र, नामान्तकरण व राजस्व रिकार्ड का किसी भी रूप में किसी भी तरह से बेजा फायदा नहीं उठावे, मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदक संख्या 02की ओर से वकील श्री प्रदीप कुमार झाझड़िया उपस्थित न्यायालय आये तथा आवेदक ने आवेदिका के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के निवेदन कि साथ जवाब प्रार्थना पत्र बिन्दुवार इस प्रकार पेश किया कि :- आवेदक द्वारा वाद उनवानी शहरिराम बनाम रामकुमार पेश किया जाना स्वीकार है। जो विधी विरुद्ध रूप से व निराधार होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 जिस प्रकार से दर्ज है गलत होने से अस्वीकार है। आवेदक द्वारा कभी भी वादग्रस्त आराजी अनावेदक संख्या से क्रय नहीं की गई है। आवेदक ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर उक्त दावा/प्रार्थना पेश किया है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 की उप मद ए, बी, सी जिस प्रकार से दर्ज है गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है। उत्तरदात्री ने भूमि खसरा नम्बर 1367/1168 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 1169 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.25 हेक्टर में हिस्सा 1/6 अनावेदक संख्या 1 से दिनांक 20.06.2016 को पर्याप्त प्रतिफल देकर विधीपूर्वक क्रय किया था तथा उत्तरदात्री क्रय किये जाने के रोज से ही अपनी क्रयशुदा भूमि पर काबिज काशत है। उक्त विक्रय पत्र के आधार नामान्तकरण संख्या 912 कानूनी रूप मौके पर कब्जे काशत की जांच कर सही दर्ज किया गया है। मद संख्या 2 के नोट तथ्य मनगढन्त व झुठे आधारों पर होने से अस्वीकार है। उत्तरदात्री ने उक्त भूमि विधीपूर्वक सम्यक प्रक्रिया अपनाते हुये क्रय की है उत्तरदात्री सद्भाविक क्रेता है तथा रिकॉर्डेड खातेदार काशतकार है उत्तरदात्री अपनी क्रयशुदा भूमि आराजी में निवास करते हुये काबिज काशत है। उत्तरदात्री ने अपने क्रयशुदाभूमि पर पुख्ता मकानात बना रखे है जिनमें उत्तरदात्री निवास करती है जिसकी मौका रिपोर्ट

भी कमीशनर के जरिये मंगवाई जा सकती है या न्यायालय स्वयं के द्वारा भी मौका निरीक्षण किया जा सकता है। उत्तरदात्री द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ के समक्ष राजस्व वाद संख्या 47/2017 बाबत घोषणार्थ रिकॉर्ड दुरुस्ती व विभाजन बउनवानी सुमित्रा देवी बनाम संतोष देवी पेश किया। जिसमे उत्तरदात्री द्वारा अपनी क्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जे काशत के अनुसार सहखातेदारो के मध्य विधिवत विभाजन करवाने का अनुतोष चाहा गया है। उक्त वाद में माननीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2017 के पालनार्थ तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा रिपोर्ट दिनांक 18.07.2017 के अनुरूप उत्तरदात्री मौके पर काबिज काशत थी तथा मौके पर सहखातेदारो की उपस्थिति मे विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसके अनुसार भूमि खसरा नम्बर 3619/1168/4 रकबा 0.1850 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 3619/1168/5 रकबा 0.15 हैक्टर में हिस्सा 1/6 है। उक्त प्रस्ताव के अनुसार माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ द्वारा उत्तरदात्री का वाद स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 15.09.2017 को निर्णय एवं उत्तरदात्री के पक्ष में डिक्रीत किया गया उक्त वाद मे उत्तरदात्री को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में समस्त हक अधिकारो की खातेदारी घोषणा करते हुये विधिक अधिकार प्राप्त हुये है। आवेदक को किसी भी प्रकार से उसके हक अधिकारो की भूमि से वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तरदात्री के विरुद्ध आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र निरस्तनिय है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 जिस प्रकार से दर्ज है गलत होने से अस्वीकार है उक्त आराजी पर आवेदक का कभी भी कोई कब्जा काशत नहीं रह है। उत्तरदात्री द्वारा उक्त भूमि क्रय किये जाने से पूर्व अनावेदक संख्या 1 रामकुमार उक्त भूमि पर काबिज काशत था तथा रिकॉर्डेड खातेदार काशतकार था एवं दिनांक 20.06.2016 को क्रय किये जाने के बाद से ही उत्तरदात्री उक्त भूमि पर काबिज काशत है जिसके नामान्तरण संख्या 912 विधिपूर्वक सही भरा गया है। उत्तरदात्री उक्त भूमि की रिकॉर्डेड खातेदार काशतकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 जिस प्रकार से दर्ज है गलत होने से अस्वीकार है आवेदक कभी भी उक्त भूमि खसरा नम्बर 1367/1168 व 1169 पर कभी भी काबिज काशत नहीं रहा है। उक्त भूमि बाबत आवेदक की किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुये है उक्त भूमि पर उत्तरदात्री काबिज काशत है। कब्जे के अभाव में आवेदक का उक्त प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार से दर्ज गलत होने से अस्वीकार है। उत्तरदात्री ने किसी भी प्रकार कोई षड्यन्त्र नहीं किया है उत्तरदात्री सदभाविक क्रेता है तथा उक्त भूमि पर विधि अनुरूप समस्त हक अधिकार रखती है जिन्हें किसी भी प्रकार से एविनिसियो वाईड करार नहीं किया जा सकता है। उत्तरदात्री द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ के यहां राजस्व वाद संख्या 47/2017 बाबत घोषणार्थ रिकॉर्डेड दुरुस्ती व विभाजन बउनवानी सुमित्रा देवी बनाम संतोष देवी पेश किया। माननीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2017 के पालनार्थ तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा रिपोर्ट दिनांक 18.07.2017 के अनुरूप उत्तरदात्री मौके पर काबिज काशत थी तथा मौके पर सहखातेदारो की उपस्थिति मे विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसके अनुसार भूमि खसरा नम्बर 3619/1168/4 रकबा 0.1850 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 3619/1168/5 रकबा 0.15 हैक्टर में हिस्सा 1/6 है। उक्त प्रस्ताव के अनुसार माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ द्वारा उत्तरदात्री का वाद स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 15.09.2017 को निर्णय एवं उत्तरदात्री के पक्ष में डिक्रीत किया गया उक्त वाद मे उत्तरदात्री को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में समस्त हक अधिकारो की घोषणा करते हुये विधिक अधिकार प्राप्त हुये है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 जिस प्रकार से दर्ज है गलत होने से अस्वीकार है। आवेदक उक्त भूमि पर कभी भी काबिज नहीं रहा है बल्कि उत्तरदात्री ही उक्त भूमि पर काबिज काशत व रिकॉर्डेड खातेदार काशतकार है। आवेदक द्वारा दिनांक 15.06.2017 बाबत तथ्य मनगढन्त व झुठे है। आवेदक का कभी भी उत्तरदात्री की भूमिपर कब्जा काशत नहीं रहा है। उत्तरदात्री अपनी क्रयशुदा भूमि की रिकॉर्डेड खातेदार काशतकार है तथा मौके के पर काबिज काशत है। इसलिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 जिस प्रकार से दर्ज है गलत होने से अस्वीकार है। उत्तरदात्री अपनी क्रयशुदा भूमि की रिकॉर्डेड खातेदार काशत काशत है तथा मौके पर काबिज काशत है। आवेदक ना तो रिकॉर्डेड खातेदार काशतकार है तथा ना ही उत्तरदात्री की भूमि पर कोई कब्जा काशत है। इसलिए आवेदक का ना तो कोई प्रथम दृष्टया मामला है तथा ना ही सुविधा का सन्तुलन आवेदक के पक्ष में पड़ता है।

आवेदक ने बिना कब्जे के उत्तरदात्री की भूमि पर अपना कब्जा होने के झुठे कथन कथित करते हुये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विशेष हर्जे खर्च सहित खारिज फरमाया जावे।

जबाबदेही पेश होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों अप्रार्थी ने जबाब के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :-

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

- प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन :- दोनों बिन्दुओं का एक साथ विवेचन किया जा रहा है। राजस्व ग्राम परसरामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1220 रकबा 0.33 है, खसरा नम्बर 1230 रकबा 0.68 है, खसरा नम्बर 3619/1168 रकबा 1.05 है, खसरा नम्बर 1169 रकबा 0.20 है कुल किता 2 कुल रकबा 1.25 है। भूमि शामलाती तथा पैतृक संपत्ति है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से भूमि पैतृक होना साबित है जिसमें आवेदक का हक हिस्सा तय होना है। जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकॉर्ड काश्तकार के विरुद्ध भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। अगर उक्त पैतृक आराजी खुर्द बुर्द हो जाती है तो वाद बहुलता होगी तथा आवेदक को अपूरणीय क्षति होगी। अतः सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया मामला आवेदिका के पक्ष में है।

**अपूरणीय क्षति :-** उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदक के पक्ष में होने से तथा विवादग्रस्त भूमि आवेदिका के कब्जे काश्त में होने से अपूरणीय क्षति आवेदक के पक्ष में है।

#### आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम परसरामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1220 रकबा 0.33 है, खसरा नम्बर 1230 रकबा 0.68 है, खसरा नम्बर 3619/1168 रकबा 1.05 है, खसरा नम्बर 1169 रकबा 0.20 है कुल किता 2 कुल रकबा 1.25 है भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाई रखने हेतु तादावा निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम आदेश दिनांक 19.07.2017 को पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फौसल सुमार होकर नम्बर से कम हो मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)

सहायक जज एवं कार्यपालक  
मुख्यालय, (फास्ट-ट्रेक) न्यायालय